मौसम

तापमान	गाजियाबाद	कानपुर	वाराणसी	झांसी
अधिकतम	44.0	45.0	45.0	44.0
न्यूनतम	30.0	31.0	31.0	312.0

AXIS BANK

रिटेल एसेट सेंटरः एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टावर टी-2, दूसरी मंजिल, 1-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (यूपी) - 201301
कॉर्पोरेट कार्यालयः ' एक्सिस हाउस', ब्लॉक-बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025 पंजीकृत कार्यालयः 'त्रिशूल', तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर के सामने मंदिर, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज अहमदाबाद-380006

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूतिकरण, वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एक्सिस बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी के रूप मे सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता हुये नियम 2002 के तहत, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को मांग नोटिस जारी किया गया है, ताकि नोटिस में उल्लिखित राशि प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाई जा सके। उक्त नोटिस. उधारकर्ता(ओं)/ सह-उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) /बंधककर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। नीचे उल्लिखित तिथियों पर. विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता(ओं) और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन एक्सिस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नामः 1. मेसर्स रोशन सन्स सीके- 21/40, कटरा माधोजी, ठठेरी बाजार वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221001 इसके मालिक श्री रितेश मेहता के माध्यम से **2. श्री रितेश मेहता पुत्र रोशन लाल मेहता** मालिक मेसर्स रोशन सन्स डी 63/1 फ्लैट नंबर बी 15 विराट विला लक्मे महमूरगंज छितुपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश वाराणसी उत्तर प्रदेश-221010 के पीछे

संपत्ति का विवरणः- विराट विला बियरिंग हाउस नंबर डी.63/12-बीएन में टॉवर-बी की पहली मंजिल पर फ्लैट नंबर बी-17 पर स्थित जमीन/संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल, जो एस.एम. प्लॉट नंबर 198ध1, पर निर्मित है। सुपर बिल्ट अप एरिया 1444 वर्ग फीट अथवा 134.20 वर्ग. मीटर. भूमि माप क्षेत्र में आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ 37.45 वर्ग मीटर ग्राम तुलसीपुर, मुहल्ला महमूरगंज, वार्ड दशाश्वमेध, परगना देहात अमानत, तहसील एवं जिला वाराणसी में स्थित, श्री रितेश मेहता के नाम पर पूर्व - विलेख के अनुसार, पश्चिम - विलेख के अनुसार, दक्षिण - विलेख के अनुसार उत्तर -विलेख के अनुसार

मांग सूचना की तिथिः	कब्जा की तिथि	बकाया राशि (रु.):
21-फरवरी-2024	14-मई-2024	रु. 1,53,63,792.66/- (रुपये एक करोड़ तिरपन लाख तिरसठ हजार सात सौ बानबें आर एवं छियासठ पैसे केवल)

उपर्युक्त उधारकर्ता(ओं) सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को इसके द्वारा 30 दिन का समय दिया जाता है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार, राशि चुकाने के लिए नोटिस, अर्थात् गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेचा जाएगा।

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,
एक्सिस बैंक लिमिटेड।
दिनांकः 1-मई 2024, स्थानः नोएडा

HDFC BANK
We understand your world

पंजीकृत कार्यालयः एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर पारेल (पश्चिम), मुंबई - 400 013 और रिटेल पोर्टफोलियो प्रबंधन के रूप में इसका एक कार्यालय एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, पहली मंजिल, आई-थिंक टेक्नो कैंपस, कांजुरमार्ग (पूर्व), मुंबई - 400042 में है।

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना और सार्वजनिक सूचना।

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ('बैंक') के नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को प्रतिभूतियों के बदले ऋण/ओवरड्राफ्ट की प्रकृति में क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक को गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री के संबंध में सूचित किया जाता है।

सहमत ऋण शर्तों के अनुसार बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने में उधारकर्ताओं द्वारा लगातार चूक के कारण, नीचे दिए गए ऋण खाते बकाया स्थिति में हैं। बैंक ने इन उधारकर्ताओं को कई नोटिस जारी किए हैं, जिसमें नीचे दी गई तारीख पर अंतिम बिक्री नोटिस भी शामिल है, जिसके तहत बैंक ने प्रतिज्ञा लागू की थी और उधारकर्ता को नीचे दिए गए खातों में संपूर्ण बकाया राशि चुकाने के लिए 7 दिनों का समय प्रदान किया था, ऐसा न करने पर , बैंक इस संबंध में कोई और नोटिस जारी किए बिना गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।

उधारकर्ताओं ने उपेक्षा की है और उचित पुनर्भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए, बैंक ने एक गिरवीदार के रूप में ऋण समझौते के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं द्वारा बैंक को दिए गए बकाया की वसूली के लिए **22 मई 2024** को या उसके बाद प्रतिभूतियों को बेचने/निपटान करने का निर्णय लिया है। उधारकर्ताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि, यदि किसी भी समय, शेयर बाजार में अस्थिरता के कारण मार्जिन आवश्यकता में और कमी पैदा करने के लिए गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्य गिर जाता है, तो बैंक अपने विवेक से गिरवी रखी गई सुरक्षा को एक के भीतर बेच देगा (1) कैलेंडर दिवस, इस संबंध में बिना किसी अतिरिक्त सूचना के गिरवी प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय के समायोजन के बाद, उधारकर्ता किसी भी शेष बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए बैंक के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम	12 मई 2024 तक बकाया राशि	बिक्री सूचना की तिथि
1	XXXX7712	संजय सक्सेना	2,76,800-98	13 मई 2024
2	XXXX8264	प्रदीप पाठक	2,37,654.51	13 मई 2024
3	XXXX5243	आशा त्रिपाठी	73,963.56	13 मई 2024
4	XXXX7231	सोमा बोस	47,246.93	13 मई 2024
5	XXXX5388	सुमित कुमार	4,28,506.90	20 अप्रैल 2024
6	XXXX9881	नीलिमास्थान	10,11,053.42	13 मई 2024
7	XXXX4679	विश्वनाथ पुरोहित	2,16,969.57	13 मई 2024
8	XXXX4300	अंजनी कुमार सिंह	10,10,852.83	20 अप्रैल 2024
9	XXXX1978	सुनीता मौर्या	44,339.83	13 मई 2024
10	XXXX6155	राजनंदनी सिंह	5,56,827.96	13 मई 2024
11	XXXX4222	आलोक तिवारी	95,278.12	13 मई 2024

दिनांकः 15.05.2024 **हस्ता/-**
स्थानः उत्तर प्रदेश **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**

समक्ष राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज
कंपनी याचिका सीपी (सीएए) संख्या 06/एएलडी/2024 सपठित कंपनी आवेदन सीए (सीएए) संख्या 11/एएलडी/2023

कंपनी अधिनियम 2013 के मामले में तथा धारा 230 एवं 232 के मामले में एवं कंपनी अधिनियम 2013 में लगा अन्य प्रावधान तथा **रानीलिया प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड**, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतरगत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पंजीकृत कार्यालय कार्यालय 301, सिटी सेंटर, द मॉल, कानपुर-208004 (उ.प्र.),पहचान संख्या: U74899UP1987PTC040268 इस ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में है।

................**याचिकाकर्ता हस्तांतरक कंपनी**

तथा

बेकर्स एग्रीफूड्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतरगत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पंजीकृत कार्यालय 301, सिटी सेंटर, कानपुर- 208004 (उ.प्र.) ,पहचान संख्या U15400UP1989PTC011106 इस ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में।

................**याचिकाकर्ता हस्तान्तरित कंपनी**

(संक्षिप्तता के लिए, याचिकाकर्ता हस्तांतरण कंपनी और याचिकाकर्ता हस्तान्तरित कंपनी को यहाँ "याचिकाकर्ता कंपनियाँ" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।)

याचिका सुनवाई की सूचना

रानीलिया प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरक कंपनी) और **बेकर्स एग्रीफूड्स प्राइवेट लिमिटेड** (हस्तान्तरित कंपनी) के बीच समेलन योजना को मंजूरी देने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 के तहत कंपनी आवेदन (सीएए) संख्या 11/एएलडी/2023 के साथ जुड़ी कंपनी याचिका सीपी (सीएए) संख्या 06/एएलडी/2024 ("याचिका") याचिकाकर्ता कंपनियों "द्वारा संयुक्त रूप से माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ, ट्रिब्यूनल के समक्ष 2 मई, 2024 को प्रस्तुत की गई थी तथा सुनी गई थी। उक्त याचिका को माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिए 13 जून, 2024 को ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 2 मई, 2024 के तहत निर्धारित किया गया है।"

"उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को संबंधित याचिकाकर्ता कंपनियों के प्रति, उनके संबंधित पंजीकृत कार्यालयों में, उनके या उनके वकील द्वारा हस्ताक्षरित अपने नाम और पते के साथ अपने इरादों की सूचना भेजनी चाहिए, ताकि यह सूचना माननीय न्यायाधिकरण और याचिकाकर्ता कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा तय की गई सुनवाई की तारीख यानी 13 जून, 2024 को या उससे पहले पहुँच सके।"

जहां कोई व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहता है, उसे विरोध के कारणों को दर्शाता एक हलफनामा सहित उक्त सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाए।

याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी किसी भी व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इसकी अवश्यकता वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

तिथि:
स्थान:

वास्ते रानीलिया प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	वास्ते बेकर्स एग्रीफूड्स प्राइवेट लिमिटेड
एसडी/-	एसडी/-
(श्री राम अग्रवाल)	**(सिद्धार्थ अग्रवाल)**
पूर्णकालिक निदेशक	प्रबंध निदेशक
डीआईएन :00145026	डीआईएन: 01762145

अचानक दिल की धड़कन रुकने से छह की मौत

हाथरस, 14 मई (जनसत्ता)।

जिले के चार थाना क्षेत्रों हाथरस गेट, कोतवाली सदर, मुरसान और चंदपा के लोगों के अनुसार उनके गांव में अचानक सीने में दर्द उठने से अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऐसी शिकायतें रुक्मणी नगर, नवीपुर, सीयल खेड़ा, मोहल्ला किला मढ़ईया, खिरनी से मिली है।

AXIS BANK

खुदरा संपत्ति केंद्र::ऐक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर टी-2, दूसरी मंजिल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (यूपी) -201301,कॉर्पोरेट कार्यालयः 'एक्सिस हाउस', ब्लॉक-बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025,पंजीकृत कार्यालयः 'त्रिशूल', तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कब्जा-सूचना

चूंकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं)/गारंटर(रों)/गिरवीकता(ओं),को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया। उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं)/गारंटर(रों)/गिरवीकता(ओं) द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहे,एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं)/गारंटर(रों)/गिरवीकता(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं)/गारंटर(रों)/गिरवीकता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13के उप-धारा (8)के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं)/गारंटर(रों)/ गिरवीकता(ओं) का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम : 1. मेसर्स श्री एंटरप्राइजेज, राजघर मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश -231001 इसके मालिक श्री नीलेश कुमार सिंह के माध्यम से इसके अलावा मेसर्स श्री एंटरप्राइजेज, 74 बथुआ पथरहिया, अघौली मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश - 231001 प्रोपराइटर श्री नीलेश कुमार सिंह के माध्यम से **2. श्री नीलेश कुमार सिंह** पुत्र श्री उमा शंकर सिंह प्रोपराइटर मेसर्स श्री इंटरप्राइजेज निवासी 74 बथुआ पथरहिया, अघौली मीरजापुर यूपी 231001 **3. श्री दिनेश सिंह** पुत्र श्री उमा शंकर सिंह 144 ज्ञान इंडस्ट्रीज राजापुर लहंगपुर, लालगंज मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश 231211 **4. श्रीमती मनोरमा देवी** ग्राम तोहदी काटा पोस्ट नकहरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश 231001 **5. श्रीमती शशिकला देवी,** पत्नी श्री शिव राम सिंह 645, रीवा रोड, लोहंदी कला, नकहरा, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर - 231001 इसके अलावा श्रीमती शशिकला देवी, पत्नी श्री शिव राम सिंह , ग्राम - राजापुर पोस्ट राजापुर मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश 231001 6. श्री पुष्प कुमार, पुत्र श्री नवल सिंह 645, रीवा रोड, लोहंदी कला, नकहरा, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर -231001, **7. वीएस किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड** कार्यालय : 645, रीवा रोड, लोहंदी कला, नकहरा, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर -231001 के इसके निदेशक माध्यम से,

संपत्ति का विवरणः संपत्ति संख्या :- 1 मौजा राजापुर, परगना कंतित, तहसील लालगंज, जिला मिर्ज़ापुर में भूमि आराजी नंबर 734 का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश, जिसका क्षेत्रफल 44654.00 वर्गफुट है, जिसमें सभी भवन और संरचनाएं, फिक्स्चर, फिटिंग और वर्तमान और भविष्य दोनों में पृथ्वी से जुड़े या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज़ से जुड़े सभी संयंत्र और मशीनरी, शामिल हैं। निम्नानुसार परिबद्ध हैंः पूर्व-विलेख के अनुसार, पश्चिम-विलेख के अनुसार, दक्षिण-विलेख के अनुसार, उत्तर-विलेख के अनुसार, संपत्ति संख्या. **2 मौजा बथुआ टा 84,** वार्ड नंबर 12, परगना कंतित, तहसील सदर, जिला मिर्ज़ापुर में जमीन मकान नंबर 978/केए का वह समस्त टुकड़ा और अंश, जिसकी माप 2950.12 वर्गफुट है, जिसमें सभी भवन और संरचनाएं, फिक्स्चर, फिटिंग और वर्तमान और भविष्य में सभी संयंत्र और मशीनरी पृथ्वी से जुड़े हुए हैं या पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज़ से स्थायी रूप से जुड़े हुए हैं, में शामिल हैं। निम्नानुसार परिबद्ध हैंः पूर्व-विलेख के अनुसार, पश्चिम-विलेख के अनुसार, दक्षिण-विलेख के अनुसार, उत्तर-विलेख के अनुसार, संपत्ति क्रमांक **3: मिनी औद्योगिक एस्टेट,** राजगढ़ मिर्ज़ापुर में भूमि प्लॉट क्रमांक 1,2,3,4,5,6 और 8,9,10,11,12,13,14,15,16 के सभी टुकड़े और अंश, 31451.96 वर्गफुट क्षेत्रफल के साथ सभी इमारतें और संरचनाएं, फिक्स्चर, फिटिंग और सभी संयंत्र और मशीनरी पृथ्वी से वर्तमान और भविष्य दोनों में जुड़ी हुई हैं या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हैं, निम्नानुसार परिबद्ध हैंः पूर्व-विलेख के अनुसार, पश्चिम-विलेख के अनुसार, दक्षिण-विलेख के अनुसार, उत्तर-विलेख के अनुसार,संपत्ति संख्या **4: औद्योगिक एस्टेट** के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र, राजगढ़, मिर्ज़ापुर में स्थित भूमि प्लॉट संख्या 30, 34, 35, 36, 37,38,39,40,41,42,43,44,45 का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश, जिसका माप 1472 वर्ग मीटर है, के साथ सभी भवन और उस पर मौजूद संरचनाएं, फिक्स्चर, फिटिंग और वर्तमान और भविष्य दोनों में सभी संयंत्र और मशीनरी जो पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़ी हुई हैं, निम्नानुसार परिबद्ध हैंः पूर्व-विलेख के अनुसार, पश्चिम-विलेख के अनुसार, दक्षिण-विलेख के अनुसार, उत्तर-विलेख के अनुसार, संपत्ति संख्या **6 : ग्राम लोहांडी कला,** टप्पा 84, परगना कंतित, तहसील सदर, जिला मीरजापुर में स्थित भूमि आराजी संख्या (679ए+679बी) का समस्त टुकड़ा और अंश जिसका क्षेत्रफल 211.895 वर्ग मीटर है। सभी इमारतों और संरचनाओं, फिक्स्चर, फिटिंग और सभी संयंत्र और मशीनरी के साथ जो वर्तमान और भविष्य दोनों में पृथ्वी से जुड़ी हुई है या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई है, निम्नानुसार परिबद्ध हैंः
पूर्व-विलेख के अनुसार, **पश्चिम-विलेख** के अनुसार,
दक्षिण-विलेख के अनुसार, **उत्तर-विलेख** के अनुसार।

मांग सूचना की तिथिः	कब्जे की तिथिः	मांग सूचना में धनराशि :(रू.) 3,45,99,026.47/-
29 दिसंबर 2023	13-मई-2024	(रूपये तीन करोड़ पैंतालीस लाख निन्यानवे हजार छब्बीस रूपए एवं सैंतालीस पैसे मात्र)

ऊपर वर्णित ऋणी/सह-उधारकर्ता/जमानतदार(रों)/बंधककर्ता(ओं) को एतद्वारा राशि चुकाने के लिए 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा गिरवी रखी हुई संपत्तियां प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार, बिक्री नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेची जाएंगी।

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी,
दिनांकः 15-05-2024, स्थानः नोएडा एक्सिस बैंक लिमिटेड

जालौन में जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा

गठबंधन की सरकार बनी तो माफ होगा किसानों का कर्ज

जालौन, 14 मई (भाषा)।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि यह सरकार ना केवल किसानों का पूरा कर्ज माफ करेगी बल्कि उन्हें उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी दिलाने का काम करेगी। यादव मंगलवार को जालौन में सपा के प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने भाजपा को खूब वोट दिया जिसके कारण इस पार्टी के लोग यहां 10 साल से सांसद हैं, उप्र में भी सात साल से भाजपा की सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बुंदेलखंड की जनता खासकर उरई, जालौन और कालपी के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार ने कुछ नहीं दिया। यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता खासकर उरई, जालौन और कालपी के लोगों को कुछ नहीं दिया गया। केंद्र और उप्र की सरकार ने यहां के विकास के लिए कुछ नहीं किया।

उन्होंने कहा कि चार चरणों का चुनाव हो चुका है और चुनावी हवा बुंदेलखंड तक पहुंच गई होगी, भाजपा के लोग धराशाई हो गए हैं। अखिलेश ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने मन बना लिया है कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है वे उन्हें सबक सिखाएंगे। यादव ने कहा कि फसल की कीमत दिलाने के लिए

इंडिया गठबंधन और सपा ने तय किया है कि आपको कानून बनाकर एमएसपी का अधिकार देंगे ताकि आपको फसल की सही कीमत मिले।

उन्होंने कहा कि हमारा किसान और गरीब संकट में है, लेकिन जब इनकी मदद करनी चाहिए थी तो बड़े-बड़े उद्योगपतियों की मदद की गई और उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। उन्होंने कहा कि गरीब किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि सपा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, बड़े लोगों का कर्ज माफ किया, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के लोग गरीब किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। युवा मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए यादव ने कहा कि हमारे नौजवान साथी जानते होंगे कि मेहनत से परीक्षा की तैयारी करने के बाद जब वे परीक्षा देकर लौटते हैं तो पता चलता है कि प्रश्नपत्र लीक हो गया है।

छुट्टा पशुओं के लिए बनेंगी तीन नई गोशालाएं : पशु चिकित्साधिकारी

सहारनपुर, 14 मई (जनसत्ता)।

योगी सरकार प्रदेश में छुट्टा गोवंशों के संरक्षण के लिए सैकड़ों की तादाद में स्थाई और अस्थाई गौ आश्रय बनाए गए हैं। इनमें लाखों छुट्टा गोवंशों को रखा गया है।

इधर-उधर घूम रहे गोवंशों के संरक्षण को लेकर योगी सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाया जाता रहा है। उनको पकड़कर गौ-आश्रयों में रखने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। बावजूद इसके प्रदेश में छुट्टा पशुओं की समस्या बनी हुई है।2020 की पशु गणना के अनुसार सहारनपुर जिले में 10 लाख से भी ज्यादा पशु हैं। जिसमें 7 लाख 38 हजार गोवंश हैं। 17 सरकारी गोशालाएं हैं। जिसमें 2760 गोवंश आश्रय लिए हुए हैं। 1,524 गोवंश का पालन जनसहभागिता के सहयोग से हो रहा है। जिला पंचायत की गोशाला में 100 गोवंश हैं और नगर निगम की गोशाला में 500 गोवंश संरक्षित हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में जिले भर में पशु छुट्टा घूम रहे हैं। पशु चिकित्साधिकारी डा गौर ने बताया कि जिले में तीन नई कान्हा गोशाला बन रही हैं जिससे छुट्टा पशुओं से राहत मिलेगी। पशु पालन विभाग दो बड़ी गोशालाओं का भी निर्माण कराने वाला है।

बताते चलें कि योगी सरकार ने गत वर्ष छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया था जिसके तहत सभी जिलाधिकारियों और पशुपालन विभाग को निर्देश जारी किया गया था कि 1 नवंबर 2023 से दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक विशेष अभियान चलाकर निराश्रित गोवंशों के शत प्रतिशत संरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसके तहत 2 लाख गोवंशों को संरक्षित किया जाना था।

Aavas
SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(पूर्व में ''ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड'' के नाम से ज्ञात) (CIN: L65922RJ2011PLC034297)
पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी/गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशी जमा नहीं कराते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रुपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा करायें अन्यथा एक्ट की धारा 13(4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूचि के अनुसार साम्यिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

ऋणी का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
रवि कुमार, सुमनलता सुमनलता खाता सं. LNAGR17523-240310135	13 मई 2024 ₹ 1001160/- 7 मई 2024	मकान प्लॉट नं. ई-46, खसरा नं. 212 व 213, शिवपुरम, फेज-2, कलवाडी, आगरा, यूपी. **क्षेत्रफल 41.61 वर्ग मीटर**

स्थान : जयपुर दिनांक 15.05.2024 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड
तीसरी मंजिल, यूनिट 304, पीरामल टॉवर, पेनिनसुला कॉर्पोरेट पार्क, लोअर परेल, मुंबई -400013
IndiaRF

''परशिष्ट-IV-A'' [नियम 8(6) का परंतुक देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) के सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एवं आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी के रूप में पंजीकृत कम्पनी इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के पास पंजीकृत एसाइनमेंट विलेख दिनांक 05.11.2019 के माध्यम से सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अनुसार नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति बंधक/प्रभारित है। इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभूत लेनदार के बकाया 14.07.2023 तक रु. 2,44,98,807/- (रुपये दो करोड़ चौवालीस लाख अट्ठानबे हजार आठ सौ सात मात्र) तथा भावी ब्याज एवं अनुबन्ध दर पर अन्य बकायों की वसूली के लिए अनुसूचित संपत्ति को **'जैसा है जहां है', 'जो है यही है'** और **'जो कुछ भी है यही है'** के आधार पर बेचने का फैसला किया है। आरक्षित मूल्य तथा जमा की जाने वाली धरोहर राशि क्रमशः नीचे उल्लिखित है :

क्र. सं.	पते सहित कर्जदार, जमानती(यों) तथा कॉर्पोरेट गारंटर(रों) के नाम	आरक्षित मूल्य (आरपी) आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति के ऑनसाइट निरीक्षण की तिथि	5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1	1. मैसर्स रंजना फूड्स एंड बीवरेजेज प्रा.लि., 2. श्री विकास प्रशान्त लाल, 3. श्रीमती रंजना लाल, 4. मैसर्स आरपी फूड्स प्रोडक्ट्स	रु. 1,07,00,000/- रु. 10,70,000/-	रु. 2,44,98,807/- तिथि 14/07/2023 तक	19.06.2024 को 10.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप.	21.06.2024 को 1.00 बजे अप. से 2.00 बजे अप. के बीच

सम्पत्तियों का विवरण तथा स्वामी : संपत्ति नंबर 1 (श्रीमती रंजना लाल के स्वामित्व में) खसरा नंबर 396 के हिस्से में स्थित भूमि और भवन का समस्त भाग, क्षेत्रफल 4000 वर्ग फुट, ग्राम नटकुर (मुल्लाही खेड़ा), परगना बिजनौर, तहसील एवं जिला लखनऊ में स्थित। सीमा निम्नानुसार है: उत्तरः प्लॉट लाल चंद यादव, दक्षिणः विकास प्रशांत लाल का प्लॉट, पूर्वः 20 फीट चौड़ा, पश्चिमः नरेंद्र का घर (बिक्री पत्र के तहत विशेष रूप से निर्दिष्ट)
संपत्ति संख्या 2 (श्री विकास प्रशांत लाल के स्वामित्व में) : खसरा संख्या 363 के मिनजुमला भाग में स्थित भूमि और भवन का सम्पूर्ण भाग, क्षेत्रफल 2700 वर्ग फुट, ग्राम नटकुर (मुल्लाही खेड़ा), परगना बिजनौर, तहसील और जिला लखनऊ 226008 में स्थित। निम्नानुसार सीमाएं: उत्तरः प्लॉट कृष्ण कांत लाल, दक्षिणः अन्य का प्लॉट, पूर्वः 20 फीट चौड़ा, पश्चिमः अन्य का प्लॉट

ईएमडी राशि एनईएफटी/आरटीजीएस/फंड ट्रांसफर के माध्यम से ''इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट VI'' के पक्ष में मुम्बई में देय जमा की जानी है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, खाता संख्या-57500000869032, आईएफएससी कोड : HDFC0000060

ईएमडी जमा करने और बोली दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि: 20.06.2024 **शाम 5.00 बजे तक https://www.bankauctions.com** पर।

ईएमडी राशि घटाकर अंतिम खरीद मूल्य का शेष 25% सफल बोलीदाता द्वारा अगले कार्य दिवस तक आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ''इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट छह'' के ई-नीलामी खाते में जमा की जाएगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। अंतिम खरीद का शेष 75% उपरोक्त ई-नीलामी खाते में नीलामी की तारीख से 15 दिनों के भीतर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाएगा। असफल बोलीदाताओं को ईएमडी की वापसी केवल 5 कार्य दिवसों के भीतर ऐसे बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र में उल्लिखित खाता संख्या में की जाएगी।

नियम एवं शर्तें : A. ई-नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://www.bankauctions.com** के माध्यम से **''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली''** के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत नियमों और प्रक्रिया के लिए वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। **B.** संपत्ति आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी और तदनुसार भाग लेने वाले बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य से अधिक बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और नीलामी प्रक्रिया के दौरान वे अपने प्रस्ताव को और बढ़ा सकते हैं। **C.** दस्तावेजों के साथ आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी राशि **''इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट VI'' के खाते के पक्ष में मुम्बई में देय, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, खाता संख्या-57500000869032, आईएफएससी कोड : HDFC0000060 में 20.06.2024 को शाम 5.30 बजे तक** या उससे पहले आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जानी है। **D.** ई-नीलामी **21.06.2024 को दोपहर 1.00 बजे से 02:00 बजे तक** 60 मिनट के लिए प्रत्येक 5 मिनट के विस्तार के साथ आयोजित की जाएगी। ईएमडी राशि के भुगतान के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरणों की एक प्रति **20.06.2024 को शाम 05:00 बजे तक** या उससे पहले **''इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड''** के पास श्री लक्ष्य चुटानी (9878829899) या श्री शक्ति श्रीवास्तव संपर्क नंबर 9811749628 (ईमेलः **Shakti.Srivastava@IndiaRF.com**) के माध्यम से, इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड 304, तीसरी मंजिल, पीरामल टावर्स, पेनिनसुला कॉर्पोरेट पार्क लोअर परेल, मुंबई 400013 पर जमा करनी होगी। **E.** दस्ती या ईमेल के माध्यम से : **i.** ईएमडी राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस विवरण की फोटोकॉपी **ii.** केवाईसी जैसे पैन कार्ड, आईडी प्रूफ और पते के प्रमाण की फोटोकॉपी। हालांकि, सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25% शेष राशि का भुगतान करते समय इन दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। **iii.** बोलीदाताओं का नाम, संपर्क नंबर, पता, ई-मेल आईडी। **iv.** बोलीदाता का खाता, ईएमडी के ऑनलाइन रिफंड के लिए विवरण। **F.** इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम पोर्टल **https://bankauctions.com** पर पंजीकृत करना चाहिए और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स 4क्लोजर, हैदराबाद हेल्पलाइन नंबर: 8142000066/62 और ईमेल: **info@bankauctions.in**, संपर्क व्यक्तिः **अरिजित कुमार दास** 8142000725, ईमेलः **arijit@bankauctions.in** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। **G.** असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी उन्हें वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। **H.** जैसा कि ऊपर बताया गया है, नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव रु. 1,00,000/- के गुणकों में बढ़ाने होंगे। जो बोलीदाता **'ऑनलाइन'** नीलामी बंद होने पर उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से ऊपर) जमा करेगा उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। **I.** सफल बोली लगाने वाले के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जाएगी, जो **'इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड'** के अधिकृत अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि के अधीन होगी। **J.** सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित होने पर तुरंत बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) जमा करना होगा और शेष राशि **'इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड'** के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा की गई जमा राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। **K.** सफल बोलीदाता को नगर निगम/सोसायटी या किसी अन्य प्राधिकारी को वैधानिक बकाया/कर/बिल आदि सहित सभी खर्च और 'बिक्री प्रमाणपत्र' के पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देय शुल्क वहन करना होगा। **L. 'इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड'** प्रस्तावित संपत्ति या किसी अन्य बकाया यानी बकाया पानी/बिजली बकाया, संपत्ति कर या अन्य शुल्क, यदि कोई हो, के संबंध में किसी भी प्राधिकरण से या लागू किसी अन्य कानून के तहत कोई अनुमति/एनओसी प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। **M.** प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए बिक्री को स्थगित/रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है। **N.** अपनी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार, **'इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड'** को 'प्रतिभूत ऋणदाता' को छोड़कर बेची जाने वाली संपत्तियों पर किसी भी तरह की देनदारी के बारे में जानकारी नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी बोली जमा करने से पहले अपनी संतुष्टि के अनुसार संपत्तियों के स्वामित्व, भारग्रस्तता के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। **'इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड'** उपरोक्त संपत्तियों की फिटनेस/स्वामित्व के संबंध में किसी भी तरह से गारंटी नहीं देता है या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया **श्री लक्ष्य चुटानी (9878829899) और शक्ति श्रीवास्तव (9811749628)** या सेवा प्रदाता **मेसर्स 4 क्लोजर, हैदराबाद** हेल्पलाइन नंबर: 08142000062/65/66 और ईमेल: **info@bankauctions.in**, संपर्क व्यक्तिः **अरिजित कुमार दास**: 8142000725, ईमेलः **arijit@bankauctions.in** से संपर्क करें।

विशेष निर्देश/सावधानी: बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनट/सेकेंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोली लगाने वाले या विक्रेता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड जिम्मेदार होगा और न ही सेवा प्रदाता। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक-अप, बिजली आपूर्ति और जो भी आवश्यक हो, करें ताकि वे ऐसी स्थिति से निपटने में सक्षम हों और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग लेने में सक्षम हों।

कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ताओं को नीलामी से पहले अद्यतन ब्याज और आकस्मिक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर ऊपर उल्लिखित गिरवी संपत्ति की नीलामी होगी और शेष बकाया यदि कोई हो तो ब्याज/लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक - 15.05.2024 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीरि. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036, शाखा कार्यालय इकाई : दूसरी मंजिल, श्री महेंद्र कॉम्प्लेक्स, 5 एल्गिन रोड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, सिविल लाइंस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211001

ई-नीलामी विक्रय सूचना (सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत अचल परिसंपत्ति का विक्रय)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात, क्योंकि नाम पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है वह 17 नवंबर 2023 से प्रभावी होकर गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में परिवर्तित हो चुका है (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात तथा मूलतः जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमीकृत) (अधिनियम के अनुसार, यहां इसमें इसके पश्चात "प्रतिभूत ऋणदाता" के रूप में संदर्भित) के पास बंधककृत निम्नवर्णित संपत्तियों का अधिग्रहण अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से 31/05/2024 को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है" आधार पर किया जायेगा। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट : **https://www.bankeauctions.com** में उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी संचालित करने जा रहे हैं। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया जीएचएफएल/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.grihumhousing.com** में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

क्र. सं.	प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (बी)	अधिग्रहण की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (ई)	धराज (आरपी की 10%) (एफ)	धराज जमा करने की तिथि (जी)	वृद्धिशील बोली (एच)	संपत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात भारग्रस्तताएं/न्यायालयी प्रकरण, यदि कोई, (के)
1.	ऋण संख्या एचएफ/0044/एच/19/100037 अभिषेक केशरी (उधारकर्ता), विजय लक्ष्मी (सह- उधारकर्ता)	सूचना तिथि : 06/11/2023 कुल बकाया : रु.123779829 (बारह लाख सैंतीस हजार सात सौ अट्ठानवे रुपए और उन्तीस पैसे मात्र) 06/11/2023के अनुसार भुगतानयोग्य साथ में वसूलीकरण तक 13.00% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज,	भौतिक	मकान नंबर 1068 मालवीय नगर परगना और तहसील सदर का वह समस्त टुकड़ा और अंश, माप- 39.5वर्ग मीटर, पिन कोड-211003, परिबद्ध :-पूर्व-खुला स्थान,पश्चिम-आम रास्ता , उत्तर-खुला स्थान,दक्षिण-खुला स्थान।	रु.16,06,500/- (सोलह लाख छह हजार पांच सौ रुपये मात्र)	रु.1,60,650/- (एक लाख साठ हजार छह सौ पचास रुपये मात्र)	30.05.2024 सायं 5 बजे से पूर्व	10,000/-	24/05/2024 (11 बजे - 4 बजे)	31/05/2024 (11 बजे - 2 बजे)	शून्य
2.	ऋण संख्या एचएफ/0044/एच/21/100076 आशा (उधारकर्ता), संतोष कुमार कौशल (सह उधारकर्ता)	सूचना तिथि : 07/10/2023 कुल बकाया : रु. 1685531.08/- (रुपए सोलह लाख पचासी हजार पांच सौ इकतीस एवं पैसे आठ मात्र)07/10/2023के अनुसार भुगतानयोग्य साथ में वसूलीकरण तक 15.6: प्रति वर्ष की दर पर ब्याज,	भौतिक	ग्राम अदमपुर/ मिर्जापुरसुनरी तहसील सोरांव जिला प्रयागराज में आराजी नंबर 1574 के हिस्से पर स्थित प्लॉट आराजी नंबर 1574 के हिस्से पर स्थित प्लॉट, गांव अदमपुर/ मिर्जापुर सुनरी तहसील सोरांव जिला प्रयागराज में माप 131 वर्ग मीटर, शहर-इलाहाबाद, बैंक नवाबगंज, उत्तर प्रदेश-229412 वाली सम्पति का वह समस्त टुकड़ा और अंश	रु. 12,98,219/- (बारह लाख अट्ठानवे हजार दो सौ उन्नीस रुपए मात्र)	रु. 12,98,219/- (बारह लाख अठ्ठानवे हजार दो सौ उन्नीस रुपए मात्र)	30.05.2024 सायं 5 बजे से पूर्व	10,000/-	24/05/2024 (11 बजे - 4 बजे)	31/05/2024 (11 बजे - 2 बजे)	शून्य
3.	ऋण संख्या एचएफ/0044/एच/19/100197 गोविंद निषाद, (उधारकर्ता), रवीन्द्र कुमार(सह उधारकर्ता) श्रीराम निषाद (सह उधारकर्ता)	सूचना तिथि : 13/09/2023 कुल बकाया : रु. 1352215.04/- (तेरह लाख बावन हजार दो सौ पन्द्रह रूपये और चार पैसे मात्र)13/09/2023के अनुसार भुगतानयोग्य साथ में वसूलीकरण तक 16% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज,	भौतिक	आराजी संख्या 162 के भाग पर, ग्राम-करेलाबाग,तहसील-सदर, प्रयागराज माप 900 वर्ग फुट,मदहवापैलेस उत्तर प्रदेश-211016 स्थित गिरवी संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश।	रु. 11,16,282/- (बारह लाख सोलह हजार दो सौ बयासी रूपये मात्र)	रु. 1,11,628.2/- (रुपए एक लाख ग्यारह हजार छह सौ अट्ठाईस और बीस पैसे मात्र)	30.05.2024 सायं 5 बजे से पूर्व	10,000/-	24/05/2024 (11 बजे - 4 बजे)	31/05/2024 (11 बजे - 2 बजे)	शून्य
4.	ऋण संख्या एचएफ/0044/एच/19/100109 मोहम्मद हसीन खान (उधारकर्ता) फरजाना (सह उधारकर्ता)	सूचना तिथि : 06/11/2023 कुल बकाया : रु. 1375457.12/- (तेरह लाख पचहत्तर हजार चार सौ सत्तावन रुपए और पैसे बारह मात्र)06/11/2023 के अनुसार भुगतानयोग्य साथ में वसूलीकरण तक 15.5% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज,	भौतिक	आराजी नं. 201 मी. ग्राम-करेलाबाग, तहसील सदर प्रयागराज, माप :- 676.5वर्गफीट, मरहवा पैलेस पिन कोड-211016 पर स्थित प्लॉट का वह समस्त टुकड़ा और अंश , सीमाबद्ध:-पूर्व-मनीष गुप्ता का प्लॉट, पश्चिम-खुला प्लॉट, उत्तर:-15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण-अन्य प्लॉट।	रु. 14,38,409/- (चौदह लाख अड़तीस हजार चार सौ नौ रूपये मात्र)	रु. 1,43,840.9/- (एक लाख तैंतालीस हजार आठ सौ चालीस एवं नब्बे पैसे मात्र)	30.05.2024 सायं 5 बजे से पूर्व	10,000/-	24/05/2024 (11 बजे - 4 बजे)	31/05/2024 (11 बजे - 2 बजे)	शून्य
5.	ऋण संख्या एचएफ/0094/एच/21/100474 मोहम्मद कामरान (उधारकर्ता) तबस्सुम, नसीम, मोहम्मद आसिफ (सह-उधारकर्ता)	सूचना तिथि : 06/11/2023 कुल बकाया : रु. 1549073.49/- (पंद्रह लाख उनचास हजार तिहत्तर रुपए एवं पैसे उनचास मात्र) 06/11/2023 के अनुसार भुगतानयोग्य साथ में वसूलीकरण तक 11.05% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज,	भौतिक	खसरा नंबर 38/2 वाके मौजा दीदामई बंबा उत्तरी तहसील जिला फिरोजाबाद माप -816 वर्ग फीट गुलरिया सरकारी स्कूल पिन कोड-283203 स्थित संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश ।	रु. 16,61,310/- (रुपये सोलह लाख इकसठ हजार तीन सौ दस मात्र)	रु. 1,66,131/- (एक लाख छियासठ हजार एक सौ इकतीस रुपये मात्र)	30.05.2024 सायं 5 बजे से पूर्व	10,000/-	24/05/2024 (11 बजे - 4 बजे)	31/05/2024 (11 बजे - 2 बजे)	शून्य
6.	ऋण संख्या HL00596100000005005440 राघवेंद्र (उधारकर्ता), मिथिलेश सिंह (सह-उधारकर्ता)	सूचना तिथि : 11/10/2023 कुल बकाया : रु. 2669445/- (छब्बीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ पैंतालीस रुपये मात्र) 11/10/2023 के अनुसार भुगतानयोग्य साथ में वसूलीकरण तक 13.50% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज,	भौतिक	ग्राम फत्तेपुर रोशनाई तहसील अकबरपुर कानपुर देहात में आराजी नंबर 966 के हिस्से पर स्थित प्लॉट नंबर 19 का वह समस्त टुकड़ा और अंश , जिसका क्षेत्रफल 22993 वर्ग मीटर है।	रु. 24,55,819/- (रुपये चौबीस लाख पचपन हजार आठ सौ उन्नीस मात्र)	रु. 2,45,581.9/- (रुपए दो लाख पैंतालीस हजार पांच सौ इक्यासी और नब्बे पैसे मात्र)	30.05.2024 सायं 5 बजे से पूर्व	10,000/-	24/05/2024 (11 बजे - 4 बजे)	31/05/2024 (11 बजे - 2 बजे)	शून्य
7.	ऋण संख्या HL0055@.p@19@100003 रवि कुमार वर्मा (उधारकर्ता), उजाला सिंह (सह उधारकर्ता)	सूचना तिथि : 13/09/2023 कुल बकाया : रु.1443529.78/- (चौदह लाख तैंतालीस हजार पांच सौ उनतीस रुपये और पैसे अठहत्तर मात्र)13/09/2023के अनुसार भुगतानयोग्य साथ में वसूलीकरण तक 16.5% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज,	भौतिक	बंधक संपत्ति भूमि अजारी संख्या 618, चंदौली परगना राल्हूपुर तहसील और जिला वाराणसी में माप 10 35.73 वर्ग फीट , प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश-221001 में स्थित सम्पत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश ,	रु. 13,95,104/- (तेरह लाख पंचानवे हजार एक सौ चार रूपये मात्र)	रु. 39,510.4/- (एक लाख उनतीस हजार पांच सौ दस रुपये एवं चालीस पैसे	30.05.2024 सायं 5 बजे से पूर्व	10,000/-	24/05/2024 (11 बजे - 4 बजे)	31/05/2024 (11 बजे - 2 बजे)	शून्य
8.	ऋण संख्या एचएफ/0045/एच/20/100022 -सौरभ सैनी (उधारकर्ता), नीशू सैनी (सह उधारकर्ता)	सूचना तिथि : 07/10/2023 कुल बकाया : रु. 1468808.38/- (चौदह लाख अड़सठ हजार आठ सौ अस्सी रुपए और पैसे अड़तीस मात्र) 07/10/2023 के अनुसार भुगतानयोग्य साथ में वसूलीकरण तक 15.0% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज,	भौतिक	प्राइवेट प्लॉट नंबर 5 का कोना भाग, आराजी नंबर 1715 एनआईबुद्धपुर मछरिया कानपुर नगर, माप 1130 वर्ग फीट , शहर-कानपुर,उत्तर प्रदेश-208021 स्थित सम्पत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश	रु. 17,19,428/- (सत्रह लाख उन्नीस हजार चार सौ अट्ठाईस रुपये मात्र)	रु. 1,71,942.8/- (रुपए एक लाख इकहत्तर हजार नौ सौ बयालीस और अस्सी पैसे मात्र)	30.05.2024 सायं 5 बजे से पूर्व	10,000/-	24/05/2024 (11 बजे - 4 बजे)	31/05/2024 (11 बजे - 2 बजे)	शून्य
9.	ऋण संख्या एचएफ/0045/एच/17/100331 सोनू आलम (उधारकर्ता), अजमेरी खातून (सह उधारकर्ता)	सूचना तिथि : 07/10/2023 कुल बकाया : रु. 9,00,778/- (नौ लाख सात सौ अठहत्तर रुपये मात्र)07/11/2021 के अनुसार भुगतानयोग्य साथ में वसूलीकरण तक 12.30% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज,	भौतिक	आवासीय प्रा. प्लॉट नं. 58, गाटा नं. 998, ग्राम अकबरपुर, परगना एवं तहसील कानपुर देहात अकबरपुर कानपुर पिन 209101 में बंधक संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश।	रु. 11,16,203/- (ग्यारह लाख सोलह हजार दो सौ तीन रूपये मात्र)	रु. 1,11,620.3/- (रुपए एक लाख ग्यारह हजार छह सौ बीस एवं तीस पैसे मात्र)	30.05.2024 सायं 5 बजे से पूर्व	10,000/-	24/05/2024 (11 बजे - 4 बजे)	31/05/2024 (11 बजे - 2 बजे)	शून्य
10.	ऋण संख्या एचएफ/0044/एच/21/100220 सुनील कुमार (उधारकर्ता), राज कुमारी (सह उधारकर्ता)	सूचना तिथि : 07/10/2023 कुल बकाया : रु. 1640934.98/- (रुपये सोलह लाख चालीस हजार नौ सौ चौंतीस एवं अठानवे पैसे मात्र)07/10/2023 के अनुसार भुगतानयोग्य साथ में वसूलीकरण तक 14.75% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज,	भौतिक	आराजी नंबर 857 के हिस्से , मौजा-सहा उर्फ पीपलगांव, परगना और तहसील-सदर जिला-इलाहाबाद, माप 1058 वर्ग फीट, शहर-इलाहाबाद, आईआईआईटी कॉलेज,उत्तर प्रदेश- 211011वाली सम्पत्ति वह समस्त टुकड़ा और अंश।	रु. 16,87,181/- (रुपये सोलह लाख सत्तासी हजार एक सौ इक्यासी मात्र)	रु.1,68,718.1/- (एक लाख अड़सठ हजार सात सौ अठारह रुपए और दस पैसे मात्र)	30.05.2024 सायं 5 बजे से पूर्व	10,000/-	24/05/2024 (11 बजे - 4 बजे)	31/05/2024 (11 बजे - 2 बजे)	शून्य
11.	ऋण संख्या एचएफ/0382/एच/20/100030 विक्रम सिंह परिहार (उधारकर्ता), मणिकर्णिका (सह-उधारकर्ता)	सूचना तिथि : 07/10/2023 कुल बकाया : रु. 1668816.29/- (रुपए सोलह लाख अड़सठ हजार आठ सौ सोलह एवं उनतीस पैसे मात्र)07/10/2023 के अनुसार भुगतानयोग्य साथ में वसूलीकरण तक 15% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज,	भौतिक	प्लॉट नंबर 15, आराजी नंबर 533 गांव मैनी खेड़ा मजरा चौरा सिकंदरपुर तहसील और जिला उन्नाव उत्तर परदेश , माप 971वर्ग फीट, शहर-उन्नाव, गिलान गेस्ट हाउस, उत्तर प्रदेश-209801 का वह समस्त टुकड़ा और अंश	रु. 13,77,456/- (तेरह लाख सतहत्तर हजार चार सौ छप्पन रूपये मात्र)	रु. 1,37,745.6/- (रुपए एक लाख सैंतीस हजार-सात सौ पैंतालीस और साठ पैसे मात्र)	30.05.2024 सायं 5 बजे से पूर्व	10,000/-	24/05/2024 (11 बजे - 4 बजे)	31/05/2024 (11 बजे - 2 बजे)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे बोलियां जमा करने से पहले प्रतिभूत ऋणदाता की शाखा और नीलामीगत संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी स्वयं की पूछताछ करें और अतिरिक्त शुल्कों, ऋणभारों और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और उक्त से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में खुद को संतुष्ट करें। सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, जो संपत्ति से जुड़ा हो, को सुनिश्चित किया जाता है और सफल बोलीदाता द्वारा उनका भुगतान वहन किया जाना चाहिए।
इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे निम्न वर्णित नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पता- भूखंड सं. 68, तृतीय तल, गुड़गांव, हरियाणा-122003, हेल्पलाइन नंबर-7291981124, 25, 26, सपोर्ट ईमेल आईडी : **Support@bankeauctions.com** से ई-बोलीदान और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु स्वयं को अनिवार्य रूप में पंजीकृत कर लें तथा अग्रिम रूप में लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें। संपर्क व्यक्ति धरनी पी, ईमेल आईडी-**dharani.p@c1india.com,** संपर्क नं.-9948182222. कृपया ध्यान दें कि प्रस्तावित बोलीदातागण केवल उन्हीं से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाता/खरीदार को " गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ", बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता संख्या-000651000460 और **IFSC** कोड- **ICIC0000006**, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर आहरित बयाना जमा राशि (ईएमडी) की राशि को 30-05-2024 को अथवा इससे पूर्व जमा करनी होगी और **https://www.bankeauctions.com** पर अपने नाम पंजीकृत करने होंगे तथा सेवा प्रदाता से निःशुल्क रूप में प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा और ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर उनके पंजीकरण के उपरांत, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता से अपेक्षा है कि निम्नलिखित अपलोडकृत प्रलेखों की प्रतियां प्राप्त करें, ई-मेल करें तथा इनकी स्वयं-प्रमाणित वास्तविक प्रतियां निम्न पते : दूसरी मंजिल, श्री महेंद्र कॉम्प्लेक्स, 5 एल्गिन रोड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, सिविल लाइंस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211001, मोबाइल नं. +91 9567626050, ई-मेल आईडी **rahul.r1@grihumhousing.com** पर प्रेषित करें। नियमों एवं शर्तों पर भावी विवरणों के लिये कृपया वेबसाइट: **https://www.bankeauctions.com** तथा ई-नीलामी में भाग लेने के लिये **www.grihumhousing.com** देखें।
यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(रों) हेतु 30 दिवसीय सूचना के रूप में भी मानी-जानी जाये।

दिनांक : 15-05-2024 स्थान : उत्तर प्रदेश **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)**